[2022] 4 एस. सी. आर 536

जग्जीत सिंह और हमारा।

वी.

आशीष मिश्रा @एमओएनयू और एएनआर।

(2022 की आपराधिक अपील संख्या 632)

अप्रैल 18,2022

[एन. वी. रमना, सीजेआई, सूर्या कान्ट और

हिमा कोहली, जे. जे.]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973: एसएस। 2 (वा), 372,439-पीड़ित का सुनवाई का अधिकार-जमानत देने के लिए विचार -

लखीमपुर खीरी घटना-03.10.2021 पर, प्रतिवादी द्वारा एक वार्षिक दंगल (कुश्ती) प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था-आरोपी प्रतिवादी नंबर 1 के कुछ समर्थकों, जो दंगल स्थल तक कार से यात्रा कर रहे थे, पर कथित तौर पर कुछ किसानों द्वारा हमला किया गया था क्योंकि बड़े विरोध के कारण, मुख्य अतिथि का मार्ग बदलना पड़ा-प्रतिवादी उत्तेजित हो गया-प्रतिवादी नंबर 1 और उसके सहयोगी, हथियारों से लैस, एक महिंद्रा थार एसयूवी, एक फॉर्च्यूनर वाहन और एक स्कॉर्पियो वाहन में दंगल स्थल से निकल गए और किसानों के विरोध स्थल की ओर चले गए और कथित तौर पर लौटने वाले किसानों की भीड़ में घुस गए और उन्हें मारा-इस घटना के परिणामस्वरूप, चार किसान, एक पत्रकार, थार वाहन के चालक और दो अन्य। 147 , 148 , 149 , 302 , 307 , 326 आर/डब्ल्यू। एसएस। 34 और 120 बी आई. पी. सी., और यू/एस. एस. 3 , 25 और शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 30-प्रतिवादी-अभियुक्त को स्थानांतरित कर दिया गया

उच्च न्यायालय के समक्ष जमानत याचिका-उच्च न्यायालय ने नियमित मंजूरी दी

उसे जमानत देते हुए यह राय देते हुए कि यह "वाहन से टकराकर दुर्घटना" का मामला था-पीड़ित पीड़ितों ने तत्काल अपील दायर की-आयोजितः संशोधित Cr.P.C के तहत पीड़ित का अधिकार मौलिक है,

लागू करने योग्य, और मानवाधिकारों का एक और पहलू है-Cr.P.C के अर्थ के भीतर एक 'पीड़ित'।

कार्यवाही में भाग लेने के अपने अधिकार का दावा करने के लिए मुकदमे की शुरुआत-एक 'पीड़ित' को जांच के चरण से लेकर अपील या संशोधन में कार्यवाही की परिणति तक बेलगाम सहभागी अधिकार हैं-उच्च न्यायालय पीड़ितों के अधिकार को स्वीकार करने में विफल रहा-'पीड़ितों' को निष्पक्ष और प्रभावी सुनवाई से वंचित कर दिया गया। प्रत्यर्थी-अभियुक्त-को जमानत देने के समय उच्च न्यायालय ने पारंपरिक रूप से शासन करने वाले सिद्धांतों की दृष्टि पूरी तरह से खो दी

536 जग्जीत सिंह और हमारा। वी. आशीष मिश्रा @MONU और एएनआर।

जमानत देने या न देने के सवाल का फैसला करते समय अदालत का विवेकाधिकार-उच्च न्यायालय ने रिकॉर्ड पर साक्ष्य के बारे में एक अदूरदर्शी दृष्टिकोण अपनाया और गुण-दोष के आधार पर मामले का फैसला करने के लिए आगे बढ़ा-उच्च न्यायालय ने कई अप्रासंगिक विचारों को ध्यान में रखा, जबकि

साथ ही न्यायिक मिसालों की अनदेखी की और स्थापित किया

जमानत देने के लिए मानदंड-उच्च न्यायालय के विवादित आदेश को कायम नहीं रखा जा सकता है-न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, पीड़ितों को भी सुनवाई का पर्याप्त अवसर देने के बाद जमानत आवेदन के नए निर्णय के लिए उच्च न्यायालय को भेजा गया मामला।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973: जमानत देते समय विचार-एक अदालत को जमानत के लिए आवेदन का निर्णय करते समय, साक्ष्य का मूल्यांकन या विस्तृत मूल्यांकन करने से बचना चाहिए, क्योंकि यह मामले में प्रासंगिक विचार नहीं है।

सीमा चरण जबकि एक न्यायालय प्रथम दृष्टया मुद्दों की जांच कर सकता है, इसमें कोई भी उचित आधार शामिल है कि क्या अभियुक्त ने ऐसा किया है

एक अपराध या अपराध की गंभीरता, एक व्यापक

उन गुणों पर विचार करना जिनमें पूर्वाग्रह की क्षमता हो

अभियोजन या बचाव पक्ष का मामला अवांछनीय है।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973: पीड़ितों की सुनवाई का अधिकार-पहला भारतीय न्यायशास्त्र लगातार विकसित हो रहा है, जिसके तहत,

पीड़ितों की सुनवाई के अधिकार को, विशेष रूप से जघन्य अपराधों से जुड़े मामलों में, तेजी से स्वीकार किया जा रहा है; दूसरा, जहां पीड़ित स्वयं अपराधी में भाग लेने के लिए आगे आए हैं।

कार्यवाही करते हुए, उन्हें एक निष्पक्ष और प्रभावी सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए-यदि बरी किए जाने के खिलाफ अपील दायर करने का अधिकार जमानत आवेदन पर निर्णय लेते समय सुनवाई के अधिकार के साथ नहीं है, तो इसके परिणामस्वरूप गंभीर गर्भपात हो सकता है।

न्याय।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973: उच्चतम न्यायालय द्वारा जमानत हस्तक्षेप को रद्द करना-यह न्यायालय (i) अप्रासंगिक विचारों ने जमानत देने वाले विवादित आदेश को प्रभावित किया है; (ii) उच्च न्यायालय द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र को पार करते हुए -

मामले के गुण-दोषों को ध्यान में रखते हुए; (iii) कार्यवाही में भाग लेने के पीड़ितों के अधिकार से इनकार; और (iv) उच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी का मनोरंजन करने या उसे जमानत देने में दिखाई गई जल्दबाजी /

अभियुक्त; जमानत को उचित रूप से रद्द कर सकता है।

22] 4 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अपील का निपटारा करते हुए और मामले को उच्च न्यायालय में भेजते हुए, न्यायालय

पकड़नाः 1. Cr.P.C के अर्थ के भीतर एक 'पीड़ित' को अपना दावा करने के लिए मुकदमे के शुरू होने की प्रतीक्षा करने के लिए नहीं कहा जा सकता है।

कार्यवाही में भाग लेने का उसका अधिकार। उसे किसी अपराध की घटना के बाद हर कदम पर सुनवाई का कानूनी रूप से निहित अधिकार है। इस तरह के 'पीड़ित' के पास से बेलगाम सहभागी अधिकार हैं अपील या पुनरीक्षण में कार्यवाही की समाप्ति तक जाँच का चरण। ' आपराधिक न्यायशास्त्र में 'पीड़ित' और 'शिकायतकर्ता/सूचना देने वाला' दो अलग-अलग अर्थ हैं। यह हमेशा आवश्यक नहीं है कि शिकायतकर्ता/सूचना देने वाला भी 'पीड़ित' हो, क्योंकि अपराध के लिए कोई अजनबी भी 'सूचना देने वाला' हो सकता है, और

इसी तरह, एक 'पीड़ित' को किसी अपराध का शिकायतकर्ता या सूचना देने वाला होने की आवश्यकता नहीं है। [पैरा 24] [547-जी-एच; 548-ए-बी] 2. इस न्यायालय को यह सुनिश्चित करने का काम सौंपा गया है कि न तो किसी अभियुक्त का मुकदमे के लंबित रहने तक जमानत लेने का अधिकार जब्त किया जाए और न ही

' पीड़ित या राज्य को ऐसी प्रार्थना का विरोध करने के उनके अधिकार से वंचित किया जाता है। इस तरह की स्थिति में, और संतुलन बनाने की दृष्टि से प्रतिस्पर्धी अधिकारों के कारण, यह न्यायालय हमेशा मामले को नए सिरे से विचार के लिए उच्च न्यायालय को वापस भेजता रहा है। न्याय के उद्देश्यों को निष्पक्ष, निष्पक्ष और निष्पक्ष तरीके से प्रतिवादी-अभियुक्त की जमानत याचिका के नए सिरे से निर्णय के लिए इस मामले को उच्च न्यायालय को भेजकर पर्याप्त रूप से पूरा किया जाएगा। जमानत आवेदन का निर्णय गुण-दोष के आधार पर और पीड़ितों को भी सुनवाई का पर्याप्त अवसर देने के बाद किया जाएगा। यदि पीड़ित किसी निजी वकील की सेवाएँ लेने में असमर्थ हैं, तो उच्च न्यायालय पर यह अनिवार्य होगा कि वह उन्हें राज्य के खर्च पर आपराधिक कानून में पर्याप्त अनुभव के साथ एक कानूनी सहायता वकील प्रदान करे। [पैरा 43,44] [554-सी-एफ]

मल्लिकार्जुन कोडगली (मृत) बनाम। कर्नाटक राज्य और ओआरएस। (2019) 2 एससीसी 752: [2018] 13 एस. सी. आर. 1; नरेंद्र के. अमीन (डॉ.) बनाम। गुजरात राज्य और अन्र। (2008) 13 एससीसी 584: [2008] 6 एस. सी. आर. 1149, भारत संघ बनाम। के. ए. नजीब (2021) 3 एस. सी. सी. 713-पर भरोसा किया।

जग्जीत सिंह और हमारा। वी. आशीष मिश्रा @MONU और एएनआर

कंवर सिंह मीणा बनाम। राजस्थान राज्य (2012)

एससीसी 180 [2012] 10 एससीआर 847; प्रशांत कुमार सरकार

वी. आशीष चटर्जी और अन्र। (2010) 14 एससीसी 496: [2010]

12 एससीआर 1165-पुष्टि की गई।

नीरू यादव बनाम। उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश का राज्य (2014) 16 एस. सी. सी. 508

: [2014] 12 एस. सी. आर. 453; अनिल कुमार यादव बनाम राज्य (एन. सी. टी.

दिल्ली से) और अन्र। (2018) 12 एससीसी 129: [2017] 11 एससीआर

195 (32) ; . महिपाल वी. राजेश कुमार और अन्र। (2020) 2 एससीसी 118: [2019] 14 एस. सी. आर. 529; एलिस्टर एंथनी परेरा

वी. महाराष्ट्र राज्य (2012) 2 एससीसी 648: [2012] 1

एस. सी. आर. 145; पूरन बनाम। रामबिलास और अन्र। (2001) 6 एस. सी. सी. 338

: [2001] 3 एस. सी. आर. 432; नरेश पाल सिंह बनाम राज करण

और एन. आर. (1999) 9 एस. सी. सी. 104; बृज नंदन जैसवाल बनाम।

मुन्ना उर्फ मुन्ना जैसवाल और अन्र। (2009) 1 एस. सी. सी. 678

: [2008] 17 एस. सी. आर. 1348; हसरी ओम यादव बनाम। दिनेश एल.

सिंह जाट और अन्र। 2013 एससीसी ऑनलाइन एससी 610-संदर्भित को।

मामला कानून संदर्भ

[2019] 14 एससीआर 529

संदर्भित किया गया है

पै

रा 12

[2012] 1 एससीआर 145

संदर्भित किया गया है

पै

रा 12

[2018] 13 एससीआर 1

उस पर भरोसा करें

पै

रा 22

[2001] 3 एससीआर 432

पै

रा 29

संदर्भित किया गया है

[2008] 6 एससीआर 1149

उस पर भरोसा करें

पै

रा 29

[2012] 10 एससीआर 847

पुष्टि की

पै

रा 29

[2010] 12 एससीआर 1165

पुष्टि की

पै

रा 30

[2014] 12 एससीआर 453

संदर्भित किया गया है

पै

रा 32

[2017] 11 एससीआर 195

संदर्भित किया गया है

पै

रा 32

(2021) 3 एस. सी. सी. 713

उस पर भरोसा करें

पै

रा 40

(1999) 9 एससीसी 104

संदर्भित किया गया है

पै

रा 43

[2008] 17 एससीआर 1348

संदर्भित किया गया है

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील सं।

632 2022 तक।

इलाहाबाद में उच्च न्यायालय के 10.02.2022 दिनांकित निर्णय और आदेश से, आपराधिक विविध मामले में लखनऊ पीठ। जमानत 2021 की आवेदन संख्या 13762।

महेश जेठमलानी, वरिष्ठ अधिवक्ता। , टी. महिपाल, सुश्री रुचिरा गोयल, अजय अवस्थी, रवि शर्मा, सुश्री मुग्धा पांडे, वेडो खालो, एस. पांडे, तुहीन, डॉ. ए. पी. सिंह, वी. पी. सिंह, सुश्री गीता चौहान, सदाशिव, सुश्री आस्था त्यागी, दिनेश चंदर, सिद्धार्थ राज अग्रवाल, सुश्री रुचिरा गोयल, रोनक करणपुरिया, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

अदालत के प्रस्ताव द्वारा

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

सूर्या कान्ट, जे।

छुट्टी मंजूर की गई।

2. यह चुनौती इलाहाबाद, लखनऊ पीठ में उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 10.02.2022 के एक आदेश को दी गई है, जिसके तहत

प्रत्यर्थी संख्या 1 (इसके बाद-"प्रत्यर्थी-अभियुक्त") को भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 147,148,149,302,307,326 के साथ धारा 34 और 120-बी के तहत जमानत पर बढ़ा दिया गया है। (इसके बाद-"आई. पी. सी".), साथ ही शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 3,25 और 30।

तथ्य।

3. संक्षेप में, यह आरोप लगाया जाता है कि कई किसान जश्न मनाने के लिए लखीमपुर खीरी जिले के खैरैत्या गांव में 29.09.2021 पर एकत्र हुए थे।

सरदार भगत सिंह की जयंती और 2020 के भारतीय कृषि अधिनियमों का विरोध करना। इस सभा के दौरान, किसानों ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री अजय मिश्रा @टेनी द्वारा की गई कुछ टिप्पणियों पर आपत्ति जताई। बैठक के दौरान, किसानों ने श्री अजय मिश्रा के खिलाफ उनके पैतृक गांव में 03.10.2021 पर विरोध प्रदर्शन आयोजित करने का फैसला किया। विभिन्न किसान संगठनों ने अपने सदस्यों और समर्थकों से प्रदर्शन में भाग लेने की अपील की और पर्चे भी वितरित किए गए।

जग्जीत सिंह और हमारा। वी. आशीष मिश्रा @MONU और ए. एन. आर.

[सूर्या कान्ट, जे।]

4. 03.10.2021 पर, एक वार्षिक दंगल (कुश्ती) प्रतियोगिता थी

आशीष मिश्रा @मोनू, अर्थात प्रतिवादी-अभियुक्त द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में श्री अजय मिश्रा के साथ-साथ श्री अजय मिश्रा को भी भाग लेना था।

उत्तर प्रदेश राज्य के उप-मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, जिनके लिए महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज, तिकोनिया के खेल के मैदान में एक हेलीपैड का निर्माण किया गया था। 03.10.2021 की सुबह हेलिपैड के पास किसानों की भीड़ जमा होने लगी। इस प्रकार मुख्य अतिथि को सड़क मार्ग से ले जाने के लिए उनका मार्ग बदल दिया गया। लेकिन बदला हुआ सड़क मार्ग भी महाराजा अग्रसेन इंटर के सामने से गुजर रहा था।

कॉलेज, जहाँ प्रदर्शनकारी किसान बड़ी संख्या में जमा हो रहे थे संख्याएँ। इसके कारण अधिकारियों को दंगल स्थल तक पहुंचने के लिए एक और वैकल्पिक मार्ग का सहारा लेना पड़ा।

अभियुक्त को भी नुकसान पहुँचा था। यह आरोप लगाया गया है कि इन घटनाओं की जानकारी एकत्र करने के साथ-साथ इस जानकारी के साथ कि प्रदर्शनकारी किसानों के कारण मुख्य अतिथि का मार्ग बदलना पड़ा, प्रतिवादी आरोपी उत्तेजित हो गया। कहा जाता है कि इसके बाद उन्होंने अपने सहयोगियों और विश्वासपात्रों के साथ साजिश रची और प्रदर्शनकारी किसानों को सबक सिखाने का फैसला किया। प्रतिवादी नंबर 1 और उसके सहयोगी हथियारों से लैस होकर महिंद्रा थार एसयूवी, एक फॉर्च्यूनर वाहन और एक स्कॉर्पियो वाहन में दंगल स्थल से निकले और किसानों के विरोध स्थल की ओर चले गए। 6. जब किसान अपना विरोध समाप्त होने के बाद अपने घरों को लौट रहे थे, तो प्रतिवादी-अपने सहयोगियों के साथ जो

वे उपरोक्त तीन वाहनों में थे, कथित तौर पर लौट रहे किसानों की भीड़ में घुस गए और उन्हें मारने के इरादे से मारा। नतीजतन, कई किसान और अन्य लोग वाहनों से कुचल दिए गए। थार वाहन को अंततः रोक दिया गया। उत्तरदाता नंबर 1 और उसके सह-अभियुक्त सुमित जयसवाल थार से बाहर निकले और अपने हथियारों से गोलीबारी करते हुए पास के गन्ने के खेत की ओर भाग गए।

7. इस घटना के परिणामस्वरूप, चार किसानों, एक पत्रकार, थार वाहन के चालक-हरिओम और दो अन्य लोगों की मौत हो गई। लगभग दस किसानों को गंभीर और मामूली चोटें आईं। 8. 04.10.2021 के शुरुआती घंटों में, एफ़. आई. आर. नं. 219 2021 का मामला अपीलार्थी संख्या 1 की शिकायत पर दर्ज किया गया था। अर्थात, जगजीत सिंह, [2022] 4 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

चार किसानों की मौत के लिए प्रतिवादी नंबर 1 और 15-20 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ पुलिस स्टेशन टिकोनिया। यह आरोप लगाया गया था कि प्रतिवादी नंबर 1 अपने सहयोगियों के साथ प्रदर्शनकारी किसानों की भीड़ में घुस गया और उन्हें कुचल दिया। यह भी आरोप लगाया गया कि एक सुखविंदर सिंह की गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई। सुमित जैसवाल द्वारा अज्ञात व्यक्तियों और प्रदर्शनकारी किसानों के खिलाफ चार व्यक्तियों की हत्या करने के लिए एक और प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें पत्रकार रमन कश्यप, थार वाहन के चालक-हरिओम और प्रतिवादी के दो अन्य समर्थक-आरोपी शामिल थे। 9. इस बीच, इस न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई थी जिसमें 03.10.2021 की घटनाओं की जांच की निष्पक्षता के बारे में गंभीर चिंता व्यक्त की गई थी। इस न्यायालय ने आई. डी. 1 पर एस. आई. टी. का पुनर्गठन किया और जांच करने के लिए नए सदस्यों को शामिल किया गया। न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश राकेश कुमार जैन को जांच की निगरानी के लिए नियुक्त किया गया था। पुनर्गठित एस. आई. टी. ने आई. डी. 2 पर आरोप पत्र दायर किया, जिसमें प्रतिवादी-अभियुक्त को आई. डी. 1 पर हुई घटनाओं का मुख्य अपराधी पाया गया।

10. अभियुक्त-प्रत्यर्थी ने इलाहाबाद, लखनऊ पीठ में उच्च न्यायालय के समक्ष जमानत के लिए एक आवेदन दायर किया। इसका वीडियो

जाँच रिपोर्टों और न ही चोट रिपोर्टों में किसी भी आग्नेयास्त्र की चोट का पता चला है, इसलिए, उच्च न्यायालय ने राय दी कि वर्तमान मामला "वाहन से टकराने से हुई दुर्घटना" में से एक था। दूसरा, कार के चालक को उकसाने के आरोप को कायम नहीं रखा जा सका क्योंकि चालक दो लोगों के साथ था

अन्य, जो वाहन में थे, प्रदर्शनकारियों द्वारा मारे गए। तीसरा, यह

यह नोट किया गया कि प्रतिवादी-अभियुक्त जाँच में शामिल हो गया था। चौथा, आरोप पत्र दाखिल किया गया था।

11. उच्च न्यायालय के आदेश से असंतुष्ट, पीड़ित

' पीड़ित हमारे सामने हैं।

1 आई. पी. सी. की धारा 147,323,324,336 और 302 के तहत 2021 की एफ. आई. आर. संख्या 220 दर्ज की गई थी।

जग्जीत सिंह और हमारा। वी. आशीष मिश्रा @MONU और एएनआर।

[सूर्या कान्ट, जे।]

विवादात्मक बातें

12. अपीलार्थियों की ओर से विद्वान वरिष्ठ वकील श्री दुष्यंत दवे ने जोरदार तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने गलती की थी।

कई महत्वपूर्ण पहलुओं की अनदेखी करते हुए, और इसके बजाय अनुचित रखा गया

आग की बांह की चोट की अनुपस्थिति जैसे मुद्दों पर भार। महिपाल बनाम के मामले में न्यायालय में इसके निर्णय पर भरोसा करना। राजेश कुमार ने कहा कि उच्च न्यायालय ने जमानत देने के समय न्यायालय के विवेक को नियंत्रित करने वाले सुस्थापित सिद्धांतों की अवहेलना की थी। यह भी कहा गया कि जमानत का आदेश गैर-विवेक के साथ यांत्रिक तरीके से पारित किया गया था, जिससे यह अवैध हो गया और इसे दरकिनार किया जा सकता है। विद्वान वरिष्ठ वकील ने यह भी बताया कि ऑनलाइन कार्यवाही के दौरान, शिकायतकर्ता/पीड़ितों के वकील का संपर्क टूट गया था, और उच्च न्यायालय द्वारा उनकी सुनवाई नहीं की गई थी। यह कहा गया था कि जमानत याचिका पर फिर से सुनवाई के लिए उनके आवेदन पर भी उच्च न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया गया था। विद्वान वरिष्ठ सलाहकार 2022 की एफ. आई. आर. संख्या 46 की ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित किया, जो 03.10.2021 की घटना के एक गवाह दिलजोत सिंह द्वारा दायर की गई थी। उसमें कथित गवाह ने दावा किया कि 10.03.2022 पर, उसे प्रतिवादी-अभियुक्त के समर्थकों द्वारा धमकी दी गई और हमला किया गया। वैकल्पिक रूप से, एलिस्टर एंथनी परेरा बनाम में इस न्यायालय के फैसले पर जोर दिया गया था। महाराष्ट्र राज्य 3, इस बात पर प्रकाश डालने के लिए कि यदि लापरवाही से गाड़ी चलाने के कार्य से पहले गलत करने वाले की ओर से मृत्यु का कारण बनने का वास्तविक इरादा था, तो आई. पी. सी. की धारा 303 के तहत आरोप लगाया जा सकता है।

13. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री रंजीत कुमार ने जोरदार तरीके से बचाव किया

उच्च न्यायालय का निर्णय। यह प्रस्तुत किया गया था कि 2021 की प्राथमिकी संख्या 219 में लगाए गए आरोपों को देखते हुए, उच्च न्यायालय गोलियों की चोटों के मुद्दे पर प्रथम दृष्टया विचार करने के लिए बाध्य था। उन्होंने आगे कहा कि

प्रतिवादी-अभियुक्त थार वाहन में कभी नहीं था और इसके बजाय दंगल स्थल पर था। अंत में, विद्वान वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया कि यदि यह न्यायालय विवादित आदेश को रद्द कर देता है और जमानत को रद्द कर देता है, तो प्रतिवादी आरोपी को बिना किसी उपाय के छोड़ दिया जाएगा और मुकदमे के समापन तक उसे जमानत पर रिहा करना लगभग असंभव होगा। 14. उत्तर प्रदेश राज्य के प्रतिवादी नंबर 2 की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री महेश जेठमलानी ने शुरुआत में तर्क दिया

कि जमानत की सुनवाई को लघु सुनवाई में परिवर्तित नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने आग्रह किया कि अदालत को जमानत का फैसला करते समय तीन बुनियादी मानकों पर विचार करना चाहिए-(i) साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की संभावना; (ii) क्या आरोपी के भागने का खतरा होगा; और (iii) अपराध की प्रकृति। प्रथम विचार के संबंध में, यह रेखांकित किया गया कि राज्य सरकार ने गवाह सुरक्षा योजना, 2018 के दायरे में सभी 'पीड़ितों' और पीड़ितों को सशस्त्र कर्मियों सहित पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की थी।

गवाह। यह समझाया गया कि राज्य नियमित रूप से गवाहों का पीछा कर रहा था और आरोपी द्वारा किसी भी गवाह के साथ छेड़छाड़ करने की संभावना कम थी। विद्वान वरिष्ठ वकील ने आगे प्रस्तुत किया

कि प्रतिवादी-अभियुक्त की स्थानीय जड़ों को देखते हुए, उसे उड़ान जोखिम के रूप में नहीं माना जा सकता था। श्री जेठमलानी ने हालांकि कहा कि वर्तमान मामले में अपराध की प्रकृति गंभीर है। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य ने उच्च न्यायालय के समक्ष जमानत याचिका का जोरदार विरोध किया था और किसी भी तरह से वह अपने पिछले रुख से विचलित नहीं होता है।

विश्लेषण

15. पार्टियों के लिए विद्वान वरिष्ठ सलाहकारों को सुनने के बाद

काफी हद तक, हम पाते हैं कि निम्नलिखित प्रश्न हमारे विचार के लिए आते हैं:

ए.

क्या धारा 2 (डब्ल्यू. ए.) के तहत परिभाषित 'पीड़ित'

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (इसके बाद, "Cr.P.C".) किसी अभियुक्त की जमानत याचिका के निर्णय के चरण में सुनवाई का हकदार है?

क्या उच्च न्यायालय ने प्रासंगिक की अनदेखी की

बी.

विवादित आदेश पारित करते समय विचार

प्रत्यर्थी को जमानत-अभियुक्त? ; और यदि ऐसा है, तो क्या उच्च न्यायालय का दिनांकित 10.02.2022 आदेश है

सी.

स्पष्ट रूप से अवैध है और इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता है?

ए. पीड़ित की सुनवाई का अधिकार:

16. हाल तक, आपराधिक कानून को एक आयामी स्तर पर देखा जाता था जिसमें अदालतों को दोनों के बीच निर्णय लेने की आवश्यकता होती थी।

अभियुक्त और राज्य। 'पीड़ित'-अपराध के वास्तविक पीड़ित की न्यायिक प्रक्रिया में कोई भागीदारी नहीं थी और उसे अदालत के बाहर मूक दर्शक के रूप में बैठाया जाता था। हालाँकि, इस मान्यता के साथ कि 'अपराध' को रोकने और दंडित करने के लिए आपराधिक न्याय व्यवस्था के लोकाचार ने गुप्त रूप से 'पीड़ित' से मुंह मोड़ लिया था, जग्जीत सिंह और ओआरएस के साथ न्यायशास्त्र।

वी. आशीष मिश्रा @MONU और एएनआर।

[सूर्या कान्ट, जे।]

पीड़ितों के सुनने और आपराधिक कार्यवाही में भाग लेने के अधिकारों के प्रति सम्मान सकारात्मक रूप से विकसित होने लगा।

17. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अपराध और शक्ति के दुरुपयोग के पीड़ितों के लिए न्याय के बुनियादी सिद्धांतों की संयुक्त राष्ट्र घोषणा, 1985, जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव 40/34 द्वारा अपनाया गया था, पीड़ित समर्थक आंदोलन को बढ़ावा देने में एक मील का पत्थर था। घोषणा में 'पीड़ित' को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जिसने नुकसान, शारीरिक या मानसिक चोट, भावनात्मक पीड़ा, आर्थिक नुकसान, ऐसे कार्यों या चूक के माध्यम से मौलिक अधिकारों की हानि का सामना किया है जो किसी राज्य के भीतर आपराधिक कानूनों का उल्लंघन करते हैं, चाहे अपराधी की पहचान की गई हो, पकड़ा गया हो, मुकदमा चलाया गया हो या दोषी ठहराया गया हो, और परिवार की परवाह किए बिना। अपराधी और 'पीड़ित' के बीच संबंध। अन्य अंतर्राष्ट्रीय

यूरोपीय संघ जैसे निकायों ने भी विभिन्न समझौतों के माध्यम से 'पीड़ितों' के अधिकारों को प्रदान करने और उनकी रक्षा करने में बड़ी प्रगति की।

18. अन्य देशों के बीच, संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी

19. घरेलू मोर्चे पर, Cr.P.C में हाल के संशोधनों ने भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली में पीड़ित के अधिकारों को मान्यता दी है। द. इस तरह के अधिकारों की उत्पत्ति भारत के विधि आयोग की 154 वीं रिपोर्ट में निहित है, जिसमें क्षतिपूर्ति के पहलू पर मौलिक सिफारिशें की गई हैं।

क्षतिपूर्ति योजना के तहत पीड़ित को न्याय दिया गया। इसके बाद, आपराधिक न्याय प्रणाली के सुधारों पर एक समिति ने अपनी रिपोर्ट में

4 आपराधिक कानून और प्रक्रिया के ढांचे में एक पीड़ित की स्थिति, यूरोप की परिषद सदस्य राज्यों के लिए मंत्रियों की समिति, 1985; यूरोपीय संसद, परिषद, आर्थिक और सामाजिक समिति और कारणों की समिति, यूरोपीय संघ, 2011 को आयोग से यूरोपीय संघ के संचार में पीड़ित के अधिकार को मजबूत करना; यूरोपीय संसद और "अपराध के पीड़ितों के अधिकारों, समर्थन और संरक्षण पर न्यूनतम मानक, यूरोपीय संघ, 2011" स्थापित करने वाली परिषद के निर्देश के लिए प्रस्ताव।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

2003 , आपराधिक न्याय प्रणाली में लोगों के खोए हुए विश्वास को बहाल करने के सामान्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी भागों को समन्वय में काम करने के लिए एक सामंजस्यपूर्ण प्रणाली विकसित करने के तरीके और साधन सुझाए। समिति ने पीड़ित या उसके कानूनी प्रतिनिधि के अधिकारों की सिफारिश की कि "प्रत्येक आपराधिक कार्यवाही में एक पक्ष के रूप में शामिल किया जाए जहां सात साल के कारावास या सात साल के कारावास से दंडनीय आरोप हैं।

राज्य के खर्च पर एक वकील प्रदान करने की स्थिति में नहीं। आपराधिक मुकदमे में भाग लेने का पीड़ित का अधिकार और जाँच की स्थिति जानने और आवश्यक कदम उठाने का उसका अधिकार, या जमानत देने या रद्द करने के समय सहित आपराधिक कार्यवाही के प्रत्येक महत्वपूर्ण चरण में सुनवाई को भी समिति द्वारा विधिवत मान्यता दी गई थी। बार-बार न्यायिक हस्तक्षेप, साथ में

समय-समय पर की गई सिफारिशों, जैसा कि ऊपर संक्षेप में देखा गया है, ने संसद को दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2008 को लागू करने के लिए प्रेरित किया, जिसने न केवल धारा 2 (डब्ल्यू. ए.) के तहत 'पीड़ित' की परिभाषा को जोड़ा, बल्कि मुकदमे के विभिन्न चरणों में ऐसे पीड़ितों के विभिन्न अधिकारों को वैधानिक रूप से मान्यता दी।

21. यह उल्लेख करना उचित है कि विधायिका ने विचारपूर्वक 'पीड़ित' अभिव्यक्ति को एक व्यापक और विस्तृत अर्थ दिया है जो

" एक व्यक्ति जिसका उस कार्य या चूक के कारण कोई नुकसान या चोट लगी है जिसके लिए अभियुक्त व्यक्ति पर आरोप लगाया गया है और "पीड़ित" अभिव्यक्ति में उसका अभिभावक या कानूनी उत्तराधिकारी शामिल है।

22. यह न्यायालय, मल्लिकार्जुन कोडगली (मृत) बनाम। कर्नाटक राज्य और अन्य 3, एक पीड़ित के संबंध में प्रश्नों से निपटने के दौरान

Cr.P.C की धारा 372 के तहत अपील दायर करने का अधिकार, यह पाया गया कि आपराधिक मामलों में पीड़ितों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने की आवश्यकता है

कार्यवाही। अदालत ने इसमें बरी करने के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने के पीड़ित के अधिकार की पुष्टि की। मल्लिकार्जुन कोडगली के मामले में, हालांकि न्यायालय मुख्य रूप से एक अलग कानूनी मुद्दे से संबंधित था, लेकिन वर्तमान संदर्भ में उसमें की गई कुछ टिप्पणियों पर ध्यान देना उपयोगी होगाः

" 3. मुकदमे में जो होता है वह अक्सर शत्रुतापूर्ण या अर्ध-न्यायालय में बार-बार पेश होने के माध्यम से द्वितीयक उत्पीड़न होता है।

5 (2019) 2 एस. सी. सी. 752,3 और 8 जगजीत सिंह और हमारा।

वी. आशीष मिश्रा @एमओएनयू और एएनआर।

[सूर्या कान्ट, जे।]

द्वितीयक उत्पीड़न आक्रामक के रूप में था और डराने वाली पार-परीक्षा, लेकिन अधिक मानवीय

साक्ष्य अधिनियम, 1872 के प्रावधानों की व्याख्या मुकदमे को पीड़ित के लिए थोड़ा कम असहज बना दिया

अपराध, विशेष रूप से यौन अपराध का शिकार। इसमें इस संबंध में न्यायपालिका यह सुनिश्चित करने में सक्रिय रही है कि

पीड़ितों के अधिकारों को संबोधित किया जाता है, लेकिन बहुत कुछ करने की आवश्यकता है

किया। आज अभियुक्त के अधिकार अधिकारों से कहीं अधिक हैं

कई मायनों में किसी अपराध के पीड़ित का। इसकी जरूरत है।

चिंताओं का कुछ संतुलन बनाएँ और उनके अधिकारों को बराबर करें ताकि आपराधिक कार्यवाही दोनों के लिए निष्पक्ष हो। [गिरीश

कुमार सुनेजा बनाम। सी. बी. आई. (2017) 14 एस. सी. सी. 809: (2018) 1 एससीसी (क्रि) 202]।

XXX

8. पीड़ितों के अधिकार, और वास्तव में पीड़ित विज्ञान, एक विकसित हो रहा है।

न्यायशास्त्र और यह आगे बढ़ने के लिए उचित से अधिक है

पीछे की ओर कदम रखें। अपराध के पीड़ितों को एक आवाज दी गई है संसद और न्यायपालिका और उस आवाज को सुनने की जरूरत है।

और यदि पहले से नहीं सुना गया है, तो इसे उच्च स्तर तक बढ़ाने की आवश्यकता है।

डेसिबल ताकि यह स्पष्ट रूप से सुना जा सके। ”

(जोर दिया गया)

23. यह लाभप्रद नहीं कहा जा सकता है कि संशोधित अधिनियम के तहत पीड़ित का अधिकार

Cr.P.C. मौलिक, प्रवर्तनीय हैं, और मानवाधिकारों का एक और पहलू हैं। इसलिए, पीड़ित के अधिकार को एक क्रूर व्यक्ति के रूप में सीमित रूप से नहीं कहा या समझा नहीं जा सकता है। हम दोहराते हैं कि ये अधिकार पूरी तरह से स्वतंत्र, अतुलनीय हैं, और Cr.P.C के तहत राज्य के लिए सहायक या सहायक नहीं हैं। इसलिए, कार्यवाही में 'राज्य' की उपस्थिति, अपराध के 'पीड़ित' की सुनवाई के अनुसार नहीं है।

24. Cr.P.C के अर्थ के भीतर एक 'पीड़ित' से नहीं कहा जा सकता है

कार्यवाही में भाग लेने के अपने अधिकार का दावा करने के लिए मुकदमा शुरू होने की प्रतीक्षा करें। उसे किसी अपराध की घटना के बाद हर कदम पर सुनवाई का कानूनी रूप से निहित अधिकार है। ऐसा 'पीड़ित' है जाँच के चरण से लेकर अपील या संशोधन में कार्यवाही की समाप्ति तक बेलगाम सहभागी अधिकार।

यह स्पष्ट करना कि 'पीड़ित' और 'शिकायतकर्ता/सूचना देने वाला' आपराधिक न्यायशास्त्र में दो अलग-अलग अर्थ हैं। यह हमेशा आवश्यक नहीं है कि शिकायतकर्ता/सूचना देने वाला भी एक 'पीड़ित' हो, यहां तक कि एक अजनबी के लिए भी

अपराध का कार्य एक 'सूचना देने वाला' हो सकता है, और इसी तरह, एक 'पीड़ित' को किसी अपराध का शिकायतकर्ता या सूचना देने वाला होने की आवश्यकता नहीं है।

25. उपर्युक्त उद्धरणों को कुछ वैधानिक प्रावधानों के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए, जैसे कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 जैसे विशेष अधिनियमों में मौजूद हैं, जहां जमानत देने के समय पीड़ित को सुनने का कानूनी दायित्व है। इसके बजाय, जिस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए वह यह है कि; पहला, भारतीय न्यायशास्त्र लगातार विकसित हो रहा है, जिसके तहत, पीड़ितों की सुनवाई के अधिकार को, विशेष रूप से जघन्य अपराधों से जुड़े मामलों में, तेजी से स्वीकार किया जा रहा है; दूसरा, जहां पीड़ित स्वयं आपराधिक कार्यवाही में भाग लेने के लिए आगे आए हैं, उन्हें एक निष्पक्ष और प्रभावी सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए। यदि बरी किए जाने के खिलाफ अपील दायर करने का अधिकार, जमानत आवेदन पर निर्णय लेते समय सुनवाई के अधिकार के साथ नहीं है, तो इसका परिणाम गंभीर हो सकता है।

न्याय की विफलता। पीड़ितों से निश्चित रूप से बाड़ पर बैठने और दूर से कार्यवाही देखने की उम्मीद नहीं की जा सकती है, खासकर जब उन्हें वैध शिकायतें हो सकती हैं। यह अदालत का गंभीर कर्तव्य है कि वह अन्याय ग्रहण की स्मृति से पहले न्याय प्रदान करे।

26. वर्तमान मामले को ध्यान में रखते हुए, हम उच्च न्यायालय के विफल होने के तरीके पर अपनी निराशा व्यक्त करने के लिए विवश हैं

पीड़ितों के अधिकार को स्वीकार करना। यह उल्लेखनीय है कि 2021 की एफ. आई. आर. संख्या 219 में शिकायतकर्ता, साथ ही वर्तमान अपीलार्थी, उन किसानों के करीबी रिश्तेदार हैं जिन्होंने दिनांकित 03.10.2021 की घटना में अपनी जान गंवाई है। अपीलार्थियों के विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा लिया गया विशिष्ट रुख कि 'पीड़ितों' के वकील ऑनलाइन कार्यवाही से अलग हो गए थे और उच्च न्यायालय के समक्ष प्रभावी प्रस्तुतियाँ नहीं कर सके थे, उत्तरदाताओं द्वारा विवादित नहीं किया गया है। इसके बाद, इस आधार पर पुनः सुनवाई की मांग करने वाला एक आवेदन भी दायर किया गया कि 'पीड़ित' कार्यवाही में भाग नहीं ले सकते थे, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय द्वारा इस पर विचार नहीं किया गया था।

प्रतिवादी-अभियुक्त को जमानत देना। 27. इसलिए, हम सकारात्मक प्रश्न (ए) का उत्तर देते हैं, और मानते हैं कि वर्तमान मामले में, प्रतिवादी-अभियुक्त को जमानत देते समय 'पीड़ितों' को निष्पक्ष और प्रभावी सुनवाई से वंचित कर दिया गया है।

जग्जीत सिंह और हमारा। वी. आशीष मिश्रा @MONU और ए. एन. आर.

[सूर्या कान्ट, जे।]

बी. क्या उच्च न्यायालय ने प्रासंगिक विचारों की अनदेखी कीः

28. हम, शुरुआत में, स्पष्ट कर सकते हैं कि Cr.P.C की धारा 439 के तहत जमानत देने की शक्ति व्यापक आयाम में से एक है। उच्च न्यायालय या

सत्र न्यायालय, जैसा भी मामला हो, को काफी सम्मान दिया जाता है।

जमानत के लिए आवेदन पर निर्णय लेते समय विवेकाधिकार। लेकिन, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा कई अवसरों पर अभिनिर्धारित किया गया है, यह विवेकाधिकार निरंकुश नहीं है। इसके विपरीत, उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय को अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांतों का पालन करते हुए न्यायिक दिमाग के आवेदन के बाद जमानत देनी चाहिए, न कि गुप्त या यांत्रिक तरीके से। 29. आम तौर पर, यह न्यायालय किसी भी आदेश में हस्तक्षेप करने में धीमा होगा जिसमें नीचे दिए गए न्यायालय द्वारा जमानत दी गई है। हालाँकि, यदि यह पाया जाता है कि ऐसा आदेश अवैध या विकृत है, या अप्रासंगिक सामग्री पर आधारित है जो जमानत देने के आदेश में भेद्यता जोड़ती है, तो एक अपीलीय न्यायालय इसे रद्द करने और जमानत को रद्द करने में अपने दायरे में होगा। कानून की इस स्थिति को लगातार दोहराया गया है, जिसमें कंवर सिंह मीणा बनाम का मामला भी शामिल है। राजस्थान राज्य 3, जिसमें इस न्यायालय ने अभियुक्त को दी गई जमानत को इस आधार पर खारिज कर दिया कि अभियुक्त के खिलाफ प्रासंगिक विचारों और प्रथम दृष्टया सामग्री की अनदेखी की गई थी। यह माना गया था किः

" 10 ..... प्रत्येक आपराधिक मामला अपना विशिष्ट तथ्य प्रस्तुत करता है।

परिदृश्य और, इसलिए, कुछ विशिष्ट आधार

न्यायालय द्वारा विशेष मामले को ध्यान में रखना पड़ सकता है। अदालत को केवल इस बारे में राय देनी है कि क्या आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला है। अदालत को पुलिस द्वारा एकत्र किए गए साक्ष्य की सावधानीपूर्वक जांच नहीं करनी चाहिए और उस पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। साक्ष्य के इस तरह के मूल्यांकन और समय से पहले की गई टिप्पणियों से अभियुक्त को वंचित होने की संभावना है

निष्पक्ष सुनवाई। उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय उन मामलों में भी जमानत रद्द कर सकता है जहां जमानत देने का आदेश गंभीर दुर्बलता से ग्रस्त है जिसके परिणामस्वरूप न्याय की विफलता होती है। यदि जमानत देने वाली अदालत अभियुक्त की प्रथम दृष्टया संलिप्तता का संकेत देने वाली प्रासंगिक सामग्री की अनदेखी करती है या अप्रासंगिक सामग्री को ध्यान में रखती है, जिसकी अभियुक्त को जमानत देने के सवाल से कोई प्रासंगिकता नहीं है, तो उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय

पूरन वी. रामबिलास और अन्न। , (2001) 6 एस. सी. सी. 338,10

7 नरेंद्र के. अमीन (डॉ.) बनाम गुजरात राज्य और अन्न। , (2008) 13 एस. सी. सी. 584,25 8 (2012) 12 एस. सी. सी. 180,10 [2022] 4 एस. सी. आर.

जमानत रद्द करने में अदालत उचित होगी। इस तरह के आदेश अंतर्निहित मान्यता प्राप्त सिद्धांतों के खिलाफ हैं

जमानत देने की शक्ति। इस तरह के आदेश कानूनी रूप से कमजोर हैं और

न्याय की विफलता और अनुपस्थिति की ओर ले जाने वाले असुरक्षित

पर्यवेक्षण परिस्थितियाँ जैसे कि की प्रवृत्ति

साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने, न्याय से भागने आदि के लिए अभियुक्त।

यह अदालत को जमानत रद्द करने से नहीं रोकेगा। द हाई अदालत या सत्र अदालत ऐसे जमानत आदेशों को रद्द करने के लिए बाध्य है।

विशेष रूप से जब वे अभियुक्तों को रिहा कर देते हैं

जघन्य अपराधों में शामिल हैं क्योंकि वे अंततः परिणाम देते हैं

अभियोजन पक्ष के मामले को कमजोर करना और उस पर प्रतिकूल प्रभाव डालना

समाज को। कहने की जरूरत नहीं है कि हालांकि इसकी शक्तियाँ

न्यायालय बहुत व्यापक हैं, यह न्यायालय समान रूप से द्वारा निर्देशित है जमानत देने या रद्द करने के मामले में उपरोक्त सिद्धांत। ”

(जोर दिया गया)

30. इस स्तर पर सिद्धांतों का पुनर्कथन करना फायदेमंद होगा।

अनुदान के लिए आवेदन पर निर्णय लेते समय न्यायालय को ध्यान में रखना चाहिए

प्रशांत कुमार सरकार बनाम के मामले में यह न्यायालय। आशीष।

टर्जी और Anr.[3], कई उदाहरणों को ध्यान में रखने के बाद,

निम्नलिखित तारीखः

“ 9 ..... हालाँकि, यह उच्च न्यायालय पर समान रूप से बाध्यकारी है कि

इस मुद्दे पर इस न्यायालय के निर्णय। यह अच्छी तरह से तय है कि, अन्य परिस्थितियों में जिन कारकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए

जमानत के लिए आवेदन पर विचार करते समय ये हैं:

(i) क्या कोई प्रथम दृष्टया या उचित आधार है।

यह विश्वास करना कि अभियुक्त ने अपराध किया था;

((ख)

आरोप की प्रकृति और गंभीरता;

(iii)

दोषसिद्धि की स्थिति में सजा की गंभीरता;

((iv) रिहा होने पर अभियुक्त के फरार होने या भागने का खतरा।

जमानत पर;

(v) चरित्र, व्यवहार, साधन, स्थिति और स्थिति

अभियुक्त;

0) 14 एस. सी. सी. 496,9 और 10 जगजीत सिंह और ओ. आर. एस.

वी. आशीष मिश्रा @MONU और ए. एन. आर.

[सूर्या कान्ट, जे।]

((vi) अपराध के दोहराये जाने की संभावना; (vii) गवाहों के होने की उचित आशंका

प्रभावित; और

((viii) निश्चित रूप से, न्याय के अनुदान द्वारा विफल होने का खतरा

जमानत "।

(जोर दिया गया)

31. प्रशांत कुमार सरकार के मामले में अदालत ने आगे कहाः

" 10. यह स्पष्ट है कि यदि उच्च न्यायालय विज्ञापन नहीं देता है

ये प्रासंगिक विचार और यांत्रिक रूप से जमानत प्रदान करते हैं, उक्त आदेश गैर-आवेदन के दुष्प्रभाव से पीड़ित होगा

मन की बात है, इसे अवैध बनाना। मसरूर में [(2009) 14 एससीसी 286 : (2010) 1 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 1368], इसकी एक खंड पीठ

अदालत, जिसमें हम में से एक (डी. के. जैन, जे.) सदस्य थे, निम्नलिखित रूप में देखा गयाः (एस. सी. सी पी. 290, पैरा 13)

" 13. ..... हालांकि जमानत देने के चरण में एक विस्तृत

साक्ष्य और विस्तृत कारणों की जांच

मामले की योग्यता, जो अभियुक्त पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है,

बचने की आवश्यकता है, लेकिन इस तरह के क्रम में इंगित करने की आवश्यकता है प्रथम दृष्टया यह निष्कर्ष निकालने के कारण कि जमानत क्यों दी जा रही थी

विशेष रूप से प्रदान किया जाता है जहां अभियुक्त पर आरोप लगाया जाता है

उन्होंने एक गंभीर अपराध किया है।

(जोर दिया गया)

32. वनाच्छादित सिद्धांतों की पुष्टि और पुनर्निर्धारण किया गया है

नीरू यादव बनाम के हाल के निर्णयों सहित बाद के कई निर्णय। उत्तर प्रदेश राज्य और Anr.[1], अनिल कुमार यादव बनाम। राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) और अन्र. , 1 1 और महिपाल v. राजेश कुमार & Anr.[1]2 12.

33. हाथ में मामले से निपटने से पहले, हम कीमत पर कर सकते हैं

पुनरावृत्ति, इस बात पर जोर देती है कि एक अदालत को जमानत के लिए एक आवेदन का निर्णय लेते समय, साक्ष्य का मूल्यांकन या विस्तृत मूल्यांकन करने से बचना चाहिए, क्योंकि यह सीमा स्तर पर एक प्रासंगिक विचार नहीं है। जबकि एक न्यायालय प्रथम दृष्टया मुद्दों की जांच कर सकता है, जिसमें कोई भी उचित आधार शामिल है कि क्या अभियुक्त ने कोई अपराध किया है या

1 0 (2014) 16 एस. सी. सी. 508,11

11 (2018) 12 एससीसी 129,17 और 18

1 2 (2020) 2 एस. सी. सी. 118,13 [2022] 4 एस. सी. आर.

अपराध की गंभीरता, गुण-दोषों पर व्यापक विचार, जिसमें अभियोजन या बचाव पक्ष के मामले में पूर्वाग्रह पैदा करने की क्षमता है, अवांछनीय है। इस प्रकार यह स्पष्ट करना उचित समझा जाता है कि न तो हमने मामले के गुण-दोष पर विचार किया है और न ही हम वर्तमान मामले में एस. आई. टी. द्वारा एकत्र किए गए साक्ष्य पर टिप्पणी करने के लिए इच्छुक हैं।

34. अब हम संक्षेप में उच्च न्यायालय के निर्णय पर ध्यान दे सकते हैं जैसा कि विवादित आदेश के पैराग्राफ 25 से प्रकट होता है जो इस प्रकार हैः

" मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, यह सबूत है कि एफ. आई. आर. के अनुसार, गोलीबारी की भूमिका सौंपी गई थी।

याचिकाकर्ता को प्रदर्शनकारियों को मारने के लिए, लेकिन जांच के दौरान, किसी भी मृतक के शरीर पर या किसी घायल व्यक्ति के शरीर पर इस तरह के आग्नेयास्त्र के घाव नहीं पाए गए। इसके बाद अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि

आवेदक ने प्रदर्शनकारियों को कुचलने के लिए वाहन के चालक को उकसाया, हालांकि, वाहन में सवार दो अन्य लोगों के साथ चालक को प्रदर्शनकारियों ने मार डाला है। यह और सबूत है कि जाँच के दौरान,

आवेदक को नोटिस जारी किया गया और वह जांच अधिकारी के सामने पेश हुआ। यह इस बात का भी प्रमाण है कि आरोप पत्र पहले ही दाखिल किया जा चुका है। ऐसी परिस्थितियों में, इस न्यायालय का विचार है कि आवेदक रिहा होने का हकदार है। जमानत "।

35. हम अपीलार्थियों के विद्वान वरिष्ठ वकील के साथ खुद को सहमत पाते हैं कि उच्च न्यायालय पूरी तरह से दृष्टि खो चुका है

और गुण-दोष के आधार पर मामले का फैसला करने के लिए आगे बढ़े। 36. उच्च न्यायालय ने कई अप्रासंगिक विचारों को ध्यान में रखा है, साथ ही साथ न्यायिक उदाहरणों और जमानत देने के लिए स्थापित मापदंडों की अनदेखी की है। कई मौकों पर यह फैसला सुनाया गया है कि एफ. आई. आर. को घटनाओं के विश्वकोश के रूप में नहीं माना जा सकता है।

जग्जीत सिंह और हमारा। वी. आशीष मिश्रा @MONU और एएनआर।

[सूर्या कान्ट, जे।]

जबकि एफ. आई. आर. में आरोप कि अभियुक्त ने अपनी बन्दूक का इस्तेमाल किया और बाद में पोस्टमार्टम और चोट की रिपोर्ट का कुछ सीमित असर हो सकता है, उसे अनुचित महत्व देने की कोई कानूनी आवश्यकता नहीं थी। इसके अलावा, किसी मामले के गुण-दोष पर टिप्पणियों का परीक्षण कार्यवाही के परिणाम पर प्रभाव पड़ने की संभावना है, जब मुकदमा अभी शुरू नहीं हुआ है।

37. इन सभी कारकों को संचयी रूप से ध्यान में रखते हुए, हमें सकारात्मक में भी प्रश्न (बी) का उत्तर देने में कोई कठिनाई नहीं है। यह माना जाता है कि

चुनौती के तहत आदेश प्रासंगिक विचारों के अनुरूप नहीं है।

ग. क्या इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता हैः

38. उपरोक्त प्रश्नों (ए) और (बी) के तहत निष्कर्षों के लिए एक स्वाभाविक और परिणामी परिणाम के रूप में, उच्च न्यायालय का विवादित आदेश दिनांकित है।

10.2.2022 (जैसा कि 14.2.2022 पर ठीक किया गया है) को बनाए नहीं रखा जा सकता है और इसे अलग रखा जाना चाहिए। तदनुसार आदेश दिया।

39. इसकी अगली कड़ी के रूप में, प्रतिवादी/अभियुक्त के जमानत बांड रद्द कर दिए जाते हैं और उसे एक सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया जाता है।

40. ऐसा अभिनिर्धारित करने के बाद, हम प्रत्यर्थी की ओर से जो आग्रह किया गया है, उससे बेखबर नहीं हो सकते हैं-अभियुक्त कि इस न्यायालय द्वारा जमानत रद्द करने को जमानत मांगने के उसके अधिकार के अनिश्चितकालीन पूर्व-प्रकटीकरण के रूप में माने जाने की संभावना है। मामला कानून के धन पर ध्यान देना आवश्यक नहीं है, जिसने दंडात्मक कानून में कड़े प्रावधानों या अपराध की गंभीरता की परवाह किए बिना, समय-समय पर कारावास से स्वतंत्रता की मांग की वैधता को मान्यता दी है। इसे अलग तरह से रखने के लिए, किसी भी आरोपी को मुकदमे के लंबित रहने तक अंतहीन हिरासत में नहीं रखा जा सकता है, विशेष रूप से जब कानून उसे दोषी साबित होने तक निर्दोष मानता है। यहां तक कि जहां वैधानिक प्रावधान स्पष्ट रूप से जमानत देने पर रोक लगाते हैं, जैसे कि गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत मामलों में, इस अदालत ने स्पष्ट रूप से फैसला सुनाया है कि उचित रूप से लंबी अवधि के कारावास के बाद, या किसी अन्य के लिए। वैध कारण से, इस तरह के कड़े प्रावधान पिघल जाएंगे, और इसे संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत स्वतंत्रता के अधिकार के ऊपर और ऊपर नहीं मापा जा सकता है (भारत संघ बनाम देखें। के. ए. नजीब, (2021) 3 एस. सी. सी. 713,15 और 17)।

41. इस प्रकार, हमारा विचार है कि यह न्यायालय (i) अप्रासंगिक विचारों जैसे कारकों के कारण विवादित पक्षों को प्रभावित कर रहा है।

जमानत देने का आदेश; (ii) उच्च न्यायालय मामले के गुण-दोषों को छूकर अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन करता है; (iii) पीड़ितों के [2022] 4 एस. सी. आर. के अधिकार से इनकार।

कार्यवाहियों में भाग लेना; और (iv) प्रत्यर्थी/अभियुक्त का मनोरंजन करने या उसे जमानत देने में उच्च न्यायालय द्वारा दिखाई गई जल्दबाजी; प्रत्यर्थी को वंचित किए बिना जमानत को उचित रूप से रद्द कर सकता है-अभियुक्त प्रासंगिक विचारों पर जमानत पर विस्तार की मांग करने के अपने वैध अधिकार से वंचित है। 42. इस प्रकार हम प्रत्यर्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील के मन में इस आशंका को दूर करने के लिए इच्छुक हैं-अभियुक्त कि इस न्यायालय द्वारा जमानत रद्द करना प्रत्यर्थी को जमानत देने से इनकार करने के बराबर होगा।

मुकदमे के समापन तक आरोपी।

43. इस न्यायालय को यह सुनिश्चित करने का काम सौंपा गया है कि न तो किसी अभियुक्त के मुकदमे के लंबित रहने तक जमानत मांगने के अधिकार को जब्त किया जाए, न ही 'पीड़ित' या राज्य को इस तरह की प्रार्थना का विरोध करने के उनके अधिकार से वंचित किया जाए। इस तरह की स्थिति में, और प्रतिस्पर्धी अधिकारों को संतुलित करने की दृष्टि से, यह न्यायालय हमेशा मामले को नए सिरे से विचार के लिए उच्च न्यायालय को वापस भेज रहा है। 13 1 3 हमारा यह भी विचार है कि प्रतिवादी-अभियुक्त की जमानत याचिका के नए सिरे से निर्णय के लिए इस मामले को उच्च न्यायालय को निष्पक्ष, निष्पक्ष और निष्पक्ष तरीके से भेजकर और इस आदेश के पैराग्राफ 30 और 31 में विस्तृत किए गए तय किए गए मापदंडों को ध्यान में रखते हुए न्याय के उद्देश्यों को पर्याप्त रूप से पूरा किया जाएगा।

44. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि जमानत याचिका पर निर्णय गुण-दोष के आधार पर और पीड़ितों को भी सुनवाई का पर्याप्त अवसर देने के बाद किया जाएगा। यदि पीड़ित किसी निजी वकील की सेवा लेने में असमर्थ हैं, तो उन्हें कानूनी सहायता प्रदान करना उच्च न्यायालय के लिए अनिवार्य होगा।

राज्य के खर्च पर आपराधिक कानून में पर्याप्त अनुभव के साथ वकील।

45. अंत में, रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 426/2021 में इस अदालत के दिनांक 26.10.2021 के आदेश को आगे बढ़ाते हुए, और इसे ध्यान में रखते हुए

दिनांक 1 की घटना के संबंध में अपीलकर्ताओं के आरोप, हम यह अवलोकन करना उचित समझते हैं कि यदि वनों से भरी घटना, उस तरीके से हुई है जैसा कि आरोप लगाया गया है, तो यह राज्य के अधिकारियों के लिए एक जागृति आह्वान के रूप में काम करना चाहिए ताकि नेत्र/घायल गवाहों के साथ-साथ मृतक के परिवारों के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्तियों के लिए पर्याप्त सुरक्षा को मजबूत किया जा सके। 13 नरेश पाल सिंह बनाम। राज करण और अन्र, (1999) 9 एस. सी. सी. 104,2; बृज नंदन जैसवाल बनाम। मुन्ना उर्फ मुन्ना जैसवाल और अन्र, (2009) 1 एस. सी. सी. 678,12 और 13; हरि ओम यादव बनाम। दिनेश सिंह जाट और अन्र, 2013 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 610, ¶6।

आर. एस. वी. आशीष मिश्रा @MONU और एएनआर।

[सूर्या कान्ट, जे।]

ए.

ई आक्षेपित आदेश दिनांक 10.02.2022 (सही किया गया)

वह उच्च न्यायालय में वापस मामला करता है। उत्तरदाता

हिरासत में लिया जाए जैसा कि पहले से ही निर्देश दिया गया है

तथ्यों पर भी कोई राय व्यक्त नहीं की है

उच्च न्यायालय के लिए कानून के एनएस को खुला छोड़ दिया गया है

बी.

उच्च न्यायालय जमानत याचिका पर फैसला करेगा।

- अधिमानतः तीन महीने की अवधि के भीतर।

उपरोक्त शब्दों में।

अपील का निपटारा किया गया।

सीआरए)